


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

65



मा/निग/ 2017/267

Rs. 20/-

कमलेश प्रसाद पिता रामशिया उम्र 48 साल पेशा खेती, निवासी ग्राम
जुड़मानी, थाना व तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

अबधनरेश मिश्रा पिता बंशधारी मिश्रा निवासी जुड़मानी, थाना व तहसील
सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

.....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश राजस्व
निरीक्षक मण्डल सेमरिया का सीमांकन
प्रकरण क्रमांक 72ए/012 /16-17
दिनांक 20.7.2017 को निरस्त किये
जाने वावत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.

महोदय,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य:-

बिनय है कि स्थित ग्राम आराजी नम्बर
29/930/2 का निगरानीकर्ता मालिक स्वामी था, जिसे जरिये बिक्रय
पत्र दिनांक 31.12.99 को गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में बिक्रय करा
दिया था, जिसके आधार पर गैर निगरानीकर्ता उक्त बिक्रीत भूमि का
दर्ज शासकीय अभिलेख मालिक स्वामी है जो दिनांक 1.6.2017 को
म0प्र0भू0रा0सं01959की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III। मिग। सीवा। २०१७। २६७।

जिला- सीवा

पक्षकार का नाम

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M